



# महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)  
**Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya**  
(A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)  
**NAAC Accreditation- "A" Grade**

**प्रो. कृष्ण कुमार सिंह**  
**Prof. Krishna Kumar Singh**  
कार्यकारी कुलसचिव/ Acting Registrar

दूरभाष / Phone: +91-7152-251661  
फ़ैक्स / Fax: +91-7152-2309

क्रमांक : 005/वि.प.ग./59 (3)/1030


तिथि : 11.10.2018

## परिपत्र

विश्वविद्यालय के सभी विभागाध्यक्षों, केंद्राध्यक्षों एवं निदेशकों से अनुरोध है कि विश्वविद्यालय के परिनियम की धारा 14 (1) (K) जो नीचे दर्शाया गया है, के अंतर्गत विद्या-परिषद में विद्यार्थी प्रतिनिधियों को नामित करने के लिए अपने विभाग/केंद्र के स्नातकोत्तर तथा शोधार्थी वर्ग से एक-एक विद्यार्थी प्रतिनिधि के नाम दिनांक 18.10.2018 तक अकादमिक विभाग को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

**Statute 14 (1) (K) :** Two students representatives, to be nominated by the Vice-Chancellor on merit basis, one from among the Research Scholars and the other from the post graduate students from the various School/ Departments of the University, on rotation basis.

यह परिपत्र सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निर्गत किया जाता है।

  
(कृष्ण कुमार सिंह) 11/10/18

प्रतिलिपि:

1. कुलपति कार्यालय।
2. प्रतिकुलपति कार्यालय।
3. कुलसचिव कार्यालय।
4. सभी विभागाध्यक्ष/केंद्र निदेशक/प्रभारी ।
5. लीला प्रभारी को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
6. संबंधित फाइल